

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1-8-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली 10/9/25 को पेश की। Devi
	10-9-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली 8/10/25 को पेश की। Devi
	8-10-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली 27/10/25 को पेश की। Devi
	17-10-25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय कारिकेन उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 24/11/25 को पेश की। Devi उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	24-11-25	पत्रावली पेश हुई। नारीगठान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। नारीगठान को राज न्यायालय में धारा-14(1) समझ पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। भावपूर्ण बोलचाल के अभाव में नारीगठान के न्यायालय में दाखिल नहीं करने के कारण पत्रावली अंतर्गत आदेश-1 विभाग-2 जा.दी. के तहत भद्रा दाखिल एवं राज्य घोरनी में स्वारिज की गयी। पत्रावली फेटाल खुलासा होकर नंबर से काम होकर माखिल बनार ही। Devi उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर